



The Dean (Administration & Finance)  
XLRI, Jamshedpur  
Post Box 222, C H Area (East)  
Jamshedpur 831 035

LAND/1223  
24/15 March, 2011.

Dear Sir,

**Land sub-leased to X L R I in Circuit House Area (East)  
Jamshedpur.**

Please refer to your letter No. NIL dated 22<sup>nd</sup> March, 2011 on the above subject.

In this connection we would like to inform that the following pieces of land measuring 40.74 acres, in Circuit House Area (East), stands sub-leased in the name of the Trustees of Xavier Labour Relations Institute (XLRI) on the terms and conditions of Clubs and Association lease.

The details of sub-leases are given below:

Sl.No.	H. No.	Area of Land in Acres	Period of Sub-lease
01	NIL	4.590	20 years from 01.08.1957
02	NIL	0.842	20 years from 01.03.1966 (Co-terminus)
03	NIL	14.004	20 years from 01.02.1970 (Co-terminus)
04	NIL	9.614 (in 2 blocks of 4.656 + 4.958)	20 years from 01.06.1972 (Co-terminus)
05	NIL	1.80	From 22.12.2008 to 31.12.2025
06	NIL	9.89	From 31.01.2009 to 31.12.2025
	Total	40.74 acres	

The area measuring 29.050 acres is located in new Plot Nos. 87 (P), 88(P), 244, 245, 246, 247,447 and 449 of Ward No. 6, JNAC. The new Plot Nos. of the land measuring 1.80 acres and 9.89 acres has been mentioned in the enclosed Letter of Certificates of Delivery of Possession.

Contd. P/2

**TATA STEEL LIMITED**

Jamshedpur 831 001 India

Regd. Office Bombay House 24 Homi Mody Street Mumbai 400 001



..2..

The photo copies of Possession Certificates/ Letters of Confirmation of the aforesaid pieces of land are enclosed.

Subsequently, all the four sub-leases from Srl. No. 01 to 04 above have been amalgamated into one single sub-lease over the total area measuring 29.050 acres for the period from 01.08.1977 to 31.12.1995 on a total ground rent of Rs. 16/- per annum was granted vide our letter No. TAL/VRM/7243 dated 09.12.1995 (copy enclosed). The said sub-leases have been renewed vide letter No. TAL/4543 dated 29.08.2000 (copy enclosed), for a further period of 30 years with effect from 01.01.1996 to 31.12.2025 at the enhanced rent of Rs. 32/- per annum and the Sub-lease Deed have not been executed and registered.

The new Sub-lease Deed in respect of land at Srl. No. 05 & 06 above has also not been executed and registered.

The sub-leases of the above land is still continuing in the name of the Trustees of Xavier Labour Relations Institute (XLRI).

Thanking you,

Yours faithfully,

*S. S. Mittal*  
24/3/2011  
Head Land & Markets.

Encl: As above.

**TATA STEEL LIMITED**

Jamshedpur 831 001 India

Regd. Office Bombay House 24 Hami Mody Street Mumbai 400 001

पत्रांक- 3281/ST  
झारखण्ड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

3

TIL


प्रेषक:

बी० के० सिन्हा,  
उप सचिव।

निबंधित

सेवा में,

उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।



दिनांक- 25/9/25

विषय :-

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र वार्ड नं०-8 में रकवा 6.80 एकड़ टाटा स्टील लिमिटेड की लीज भूमि एक्स०एल०आर०आई० को सब-लीज पर देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र वार्ड नं०-6 में खाता नं०-2 प्लॉट नं० - 88 (अंश), 89 (अंश), 90 (अंश) का रकवा 5.00 एकड़, खाता नं० - 2, प्लॉट नं० - 244 (अंश), रकवा 0.86 एकड़ तथा खाता नं०-2, प्लॉट नं०- 244 (अंश), 87 (अंश) रकवा 0.94 एकड़ यानि कुल रकवा 6.80 एकड़ टाटा स्टील कंपनी लि० की लीज भूमि 78, 00, 000/- (अठहत्तर लाख) रु० प्रति एकड़ की दर से 5,30,40,000/-रु० का 2 प्रतिशत वार्षिक आवासीय लगान अर्थात्, कुल 10,60,800/- (दस लाख साठ हजार आठ सौ) रु० अलावे सेस की अदायगी पर कन्सट्रक्शन ऑफ मनेजमेंट डेव्लपमेंट कम्प्लेक्स बिल्डिंग के लिए एक्स०एल०आर०आई०, जमशेदपुर को 31.12.2025 तक के लिए सब-लीज पर देने का निर्णय सरकार ने लिया है।

- 2 जब-जब टिस्को लीज का नवीकरण होगा, इसका भी नवीकरण होगा।
  - 3 सब-लीज पर देने के लिए निम्नलिखित शर्त भी होगी -
  - (i) टाटा स्टील के साथ सम्पन्न लीज डीड एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेश इस पर भी लागू होगा।
  - (ii) इससे प्राप्त राशि सरकारी खजाने अर्थात् वजट शीप-0029-भू-राजस्व-101 के अन्तर्गत जमा होगा।
  - (iii) प्रतिवर्ष इससे प्राप्त होने वाली देय राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं होने पर पब्लिक डिमांड रिजर्वरी एक्ट के तहत कार्रवाई की जायगी।
  - (iv) लीज शर्त का उल्लंघन होने पर सब-लेसी को पुनः सब-लीज नहीं दिया जाएगा और दण्ड भी वसूलनीय होगा।
  - (v) सब-लेसी पुनः किसी को सब-लीज नहीं करेगा।
  - (vi) जिस प्रयोजन हेतु सब-लीज दिया जायगा, उसमें इसका उपयोग नहीं करने पर सब-लीज स्वतः समाप्त हो जायगा।
  - (vii) भूमिधारक को तीन माह के अन्दर विहित प्रपत्र में एकरारनामा करा लेना होगा अन्यथा स्वतः रद्द समझा जायगा।
4. संबंधित अभिलेख नं०-8/2005-06 मूल रूप में संलग्न कर आवश्य्क कार्रवाई हेतु जारी किया जाता है।

विश्वासपात्र,

(बी० के० सिन्हा) 19/9/25  
उप सचिव।

2177  
22/9/25  
23/9/25

3081  
25/9/25

289  
26.9.25